



UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

SH & IG CELL/EGM Notice /162/2019

October 15, 2019

Corporate Relations Cell Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001	Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot - C/1, Block - G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051
Scrip.Code: UNITEDBNK (533171)	Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Madam / Sir,

Sub: Notice of the Extraordinary General Meeting

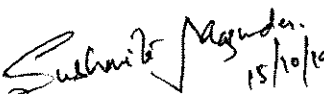
It is hereby informed that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank will be held on Thursday, November 7, 2019 at 10:00 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027 to transact the following business:

1. To create, offer, issue and allot up to 1647873392 equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) at Rs.10.11 per share including premium of Re.0.11 per share aggregating up to Rs. 1,666 crore (Rupees One Thousand Six Hundred and Sixty Six crore) to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis for cash.

In this connection, please find enclosed herewith the Notice of the Extraordinary General Meeting. The same is also available on Bank's website i.e., www.unitedbank.co.in.

The aforesaid may be taken on record and considered as compliance under the applicable provision(s) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You,
For United Bank of India


Sushmita Mazumder
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

असाधारण आम बैठक की सूचना Notice for Extraordinary General Meeting

गुरुवार, 7 नवम्बर, 2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे
Thursday, November 7, 2019, 10.00 A.M.

सभास्थल/At

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027
Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: युनाइटेड टॉवर
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001

UNITED BANK OF INDIA

Head Office: United Tower
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

सामग्री

सूचना	1
टिप्पणियाँ	3
व्याख्यात्मक विवरण	7

CONTENTS

Notice	1
Notes	3
Explanatory Statement	7



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय: 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 / Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkala- 700001

दूरभाष/Telephone: (033) 2248 7471

फैक्स/Fax: (033) 2231 1704

वेबसाइट/Website: www.unitedbank.co.in

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में निम्नलिखित व्यवसाय को परिचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

मद सं. 1

भारत सरकार की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को प्रति शेयर रु. 10/- (रुपये दश) मात्र के अंकित मूल्य के शेयरों का रु. 10.11 प्रति शेयर (रु. 0.11 प्रति शेयर प्रिमियम सहित) आवंटन हेतु 1647873392 शेयरों का सृजन, प्रस्ताव और निर्गत अधिमन्य आधार पर सकल राशि रु. 1,666 करोड़ (रु. एक हजार छः सौ छियासठ करोड़) मात्र तक।

उक्त पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित किया जाए।

संकल्प किया गया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, के अनुसार लागू प्रावधानों के अधीन एवं समय-समय पर संशोधित ("बैंकिंग विनियम अधिनियम"), सेबी (पूजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियमन"), सेबी (कर्तव्य सूची और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमन") एवं इस संबंध में कोई संशोधन या इस संबंध में कोई पुनराधिनियमन, वित्त मंत्रालय के पत्र सं. 7/23/2019-बीओए-1(पीटी), दिनांक 27 सितम्बर, 2019 एवं 18 सितम्बर, 2019 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन और युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 2010 ("बैंक विनियमन") के प्रावधान के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित तथा उनके द्वारा उक्त अनुमोदन की मंजूरी देते समय उनके द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी तथा उक्त शर्तों और आशोधनों के शर्ताधीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल सहमत हो ("बोर्ड") में इस उद्देश्य से गठित या गठित की जानेवाली समिति शामिल होगी), और ऐसे अन्य अधिनियम, नियम, विनियमन, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, निदेशों समय-समय पर यथा-उपयोज्य या संबंधित कोई संशोधन या पुनराधिनियमन या पुनः जारी करने की हालत में बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद् द्वारा निदेशक मंडल को 1647873392 तक रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर सृजन, प्रस्ताव और जारी, भारत सरकार की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को रु. 0.11 के प्रिमियम सहित, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 164 के भाग V के अनुसार सकल राशि रु. 1,666 करोड़ (रु. एक हजार छः सौ छियासठ करोड़ मात्र) करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पुनः संकल्प किया गया कि उक्त उद्देश्य के लिए सेबी आईसीडीआर विनियमन के भाग V के तहत विनियमन 164 के अनुसार अधिमन्य निर्गत दर निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तारीख मंगलवार, 08 अक्तूबर, 2019 है।

पुनः संकल्प किया गया कि बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर एवं निवेशक (कों) द्वारा रखे गए दोनों, नये जारी एवं मौजूदा सभी मायने में लाभांश सहित समरूप होंगे एवं सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियमन 167 के तहत निर्धारित लॉक-इन प्रावधानों के अंतर्गत होंगे एवं नए जारी किए गए इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जायेगा, जिन पर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

पुनः संकल्प किया गया कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड/समिति उन सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो उसके स्वविवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा, वह सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने और



सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं, या यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है अथवा यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

पुनः संकल्प किया गया कि बोर्ड / समिति को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझा जाए, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा बैंक का ऐसा अन्य अधिकारी को एतद्वारा सौंपे गए सभी अथवा किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया गया।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

ह/-

सुष्मिता मजूमदार

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

(सदस्यता सं. A36294)

तारीख: 09 अक्टूबर, 2019

स्थान: कोलकाता



टिप्पणियां

1. बैठक से संबंधित मद सं. 1 में उल्लिखित व्यवसायिक तथ्य का व्याख्यात्मक विवरण अधोलिखित है।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक विनियम के विनियमन 60(iii) के अनुसार एक शेयरधारक जो बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है, अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है। विनियम 62(ii) के विनियमन के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार 01 नवम्बर, 2019 को व्यवसाय समय के समापन से पहले बैंक के पास, **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष**, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता-700001 में पहुंच जाना चाहिए।

इस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

बैंक के पास जमा प्रतिनिधि का लिखत अप्रितसंहरणीय और अंतिम होगा।

यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो अनुदानग्राहियों (ग्रान्टी) के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा।

बैंक विनियम के विनियमन 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रूप में वोट देने का हक नहीं होगा।

बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक विनियम के विनियमन 61(i) के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकारी का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा उस कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

बैंक विनियम के विनियमन 61(ii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष**, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700 001 में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन अर्थात् शुक्रवार, 01 नवम्बर, 2019 को कारोबार अवधि की समाप्ति के पहले जमा न की गई हो।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा।

4. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस सूचना में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

5. शेयरधारकों की पूछताछ

यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न को पर्याप्त समय रहते भेज दें तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है।



शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष,

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,

प्रधान कार्यालय, चौथा तल

11, हेमन्त बसु सरणी,

कोलकाता-700001

अथवा ईमेल करें investors@unitedbank.co.in

6. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10 से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा।

बैंक विनियम के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से जारी हो तो मतदान के संबंध में पंजीकृत किए गए पहले व्यक्ति को एकमात्र धारक के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार यदि शेयरों को संयुक्तधारकों के नाम से जारी किया गया हो तो केवल पहला व्यक्ति ही बैठक में उपस्थित होने के लिए एवं अपना नामांकन करने के लिए, प्रतिभागिता तथा मतदान करने का हकदार होगा।

7. ई-मतदान

बैंक ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से सेबी सूचीकरण विनियम के विनियमन 44 के अनुसार सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ईमतदान सुविधा प्रदान की है ताकि दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्यसूची मदों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु उन्हें सक्षम किया जा सके।

रिमोट ई-मतदान वैकल्पिक है। रिमोट ई-मतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैठक के स्थान पर मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। रिमोट ई-मतदान द्वारा अपना मतदान करने वाले शेयरधारकगण बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वहां उन्हें अपना मतदान करने का हक नहीं होगा।

बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनन्तसुब्रमनियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव को रिमोट ई-मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शिता रूप में संचालित करने हेतु संविक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

बैठक में रिमोट ई-मतदान एवं मतदान अधिकारों की गणना शेयरधारकों/लाभार्थियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर गुरुवार, 31 अक्टूबर, 2019 (नियत तारीख) तक मान्य होगा।

रिमोट ई-मतदान की अवधि सोमवार, 04 नवम्बर, 2019 को 10.00 बजे (भारतीय मानक समय) से आरम्भ होकर बुधवार, 06 नवम्बर, 2019 को सायं 17.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारकों, जिन्होंने नियत तारीख तक भौतिक रूप में या अमूर्तीकरण रूप में शेयरों को धारित किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ईवोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं

(i) ई-मतदान के वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें।

(ii) **शेयरहोल्डर्स/मेम्बर्स** पर क्लिक करें।

(iii) अपना यूजर आईडी दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का बेंनिफिशियरी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के क्लॉईट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए सदस्य बैंक द्वारा पंजीकृत फोलियों नं. दर्ज करें



- (iv) अब प्रदर्शित हुए **इमेज वेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **“लॉगिन”** पर क्लिक करें ।
- (v) यदि आप डीमैट के स्म में शेयर धारण करते हैं तथा आपने www.evotingindia.com पर लॉगिन करके हाल ही में किसी भी कंपनी/संस्था के लिए मतदान किया था, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:
- (vi) निम्नलिखित विवरणों को उचित स्म से भरें:

डीमैट रुप में एवं भौतिक स्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ भौतिक स्म में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) - जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फ़िल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें। - क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें। अर्थात् यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फ़िल्ड में आरए00000001 प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिति	लॉगिन करने के क्रम में आपके डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिति (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) की प्रविष्टि करें। यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो अपनी सदस्यता आईडी/ फोलियो सं. अनुदेश (iii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फ़िल्ड में प्रविष्टि करें ।

- (vii) उचित रुप से इन ब्योरों को भरने के बाद **“सबमिट”** टैब पर क्लिक करें।
- (viii) भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब **“पासवर्ड क्रियेशन मेन्यु”** तक पहुंच जाएंगे जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिसपर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प(ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की सांझेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए भरसक प्रयास करें।
- (ix) भौतिक स्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ईमतदान के लिए किया जा सकता है।
- (x) **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** के लिए वोट करने हेतु **ईवीएसएन** पर क्लिक करें ।
- (xi) मतदान पृष्ठ पर, आप **“रिजोल्यूसन विवरण”** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **“हाँ/नहीं”** विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प **हाँ** रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है और विकल्प **नहीं** रिजोल्यूसन पर आप की असहमति का तात्पर्य है ।
- (xii) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन को देखना चाहते हैं तो **“रिजोल्यूसन फ़ाइल लिंक”** पर क्लिक करें।
- (xiii) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आप वोट करने का फैसला किया है, **“सबमिट”** पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो **“ओके”** पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, **“कैंसल”** पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें ।
- (xiv) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट **“कॉन्फर्म”** कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xv) वोटिंग पृष्ठ को **“क्लिक हियर टू प्रिंट”** विकल्प पर क्लिक करके, आप द्वारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं।



- (xvi) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और “**फॉर्गेट पासवर्ड**” पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण दर्ज करें।
- (xvii) ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन पर सही पासवर्ड के जगह पर पांच बार गलत पासवर्ड डालने से यह अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध “**फॉर्गेट पासवर्ड**” विकल्प पर जाना होगा।
- (xviii) आप अपनी लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का उपयोग विशेष रूप से उन कंपनियों/संस्थाओं द्वारा रखे गए प्रस्ताव (वों) पर ईवोटिंग के लिए कर सकते हैं जिनमें आप शेयरधारक हैं।
- (xix) सदस्यगण सीडीएसएल के मोबाइल ऐप “**एमवोटिंग**” का उपयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एमवोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एन्ड्रॉयड के लिए विंडोज फोन स्टोर, आईओएस से विंडोज उपयोगकर्ताओं द्वारा क्रमशः डाउनलोड किया जा सकता है।
- (xx) **गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और संरक्षकों के लिए नोट**
- गैर-व्यक्तिगत सदस्यगण (अर्थात् अन्य व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉगिन करके खुद को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करेंगे।
 - इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल किया जाना चाहिए।
 - लॉगिन ब्योरा प्राप्त होने के बाद, प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाएगा। अनुपालन उपयोगकर्ता खाता (ओं) को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
 - खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com मेल की जाएगी और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
 - संरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पॉवर अटॉर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्ररूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
 - यदि आपके पास कोई प्रश्न है या ईवोटिंग तथा लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड सृजन करने के संबंध में कोई मुद्दा है तो, आप www.evotingindia.com पर हेल्प खंड के तहत उपलब्ध सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (“एफ ए क्यू”) पर और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या है या इसके लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें या श्री मलय बिस्वास, सीडीएसएल में क्षेत्रीय प्रमुख, 22 कैमेक स्ट्रीट, ब्लॉक ए, प्रथम तल, कोलकाता 700016 में या निवारण के लिए 9073980266 पर संपर्क कर सकते हैं।

8. असाधारण आम बैठक के स्थान पर वोटिंग

बैंक द्वारा बैठक के स्थान पर मतदान प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। जिन शेयरधारकों ने ई-मतदान के विकल्प का चयन नहीं किया है वे गुरुवार, 31 अक्टूबर, 2019 तक अपनी शेयरधारिता के आधार पर 07 नवम्बर, 2019 को असाधारण आम बैठक के स्थान पर भागीदारी करने और मतदान करने के लिए हकदार होंगे। मतदान की संख्या निर्धारित तारीख तक उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

9. रिमोट ई-मतदान एवं मतदान का परिणाम

बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर रिमोट ई-मतदान तथा बैठक में हुए मतदान का समेकित परिणाम घोषित किया जाएगा। इसे बैंक की वेबसाइट, सीडीएसएल में दिया जाएगा और पब्लिक डोमेन पर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उसे सूचित किया जाएगा।



व्याख्यात्मक विवरण

इश्यू की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के कारोबार में जुटा है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रु 12000 करोड़ है। आज तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु 7427.92 करोड़ रुपए है, जिसमें कुल प्रदत्त पूंजी का 96.83% होल्डिंग भारत सरकार का है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार ने टियर-I इक्विटी पूंजी को दो चरणों में परोसा है। दिसंबर, 2018 में, केंद्र सरकार ने रु 2159 करोड़ बैंक की इक्विटी पूंजी में जिसके एवज में बैंक ने 11 फरवरी, 2019 को केंद्र सरकार को 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आवंटित किए थे। उसके बाद, फरवरी, 2019 में, केंद्र सरकार ने रु 2839 करोड़ बैंक की इक्विटी पूंजी में जिसके एवज में 29 मार्च 2019 को 2,57,38,89,392 इक्विटी शेयर केंद्र सरकार को आवंटित किए गए थे।

उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के कार्यान्वयन द्वारा अपने पात्र कर्मचारियों को 2,92,02,589 इक्विटी शेयर आवंटित करके रु 30.81 करोड़ एकत्रित किया।

31 मार्च, 2019 तक जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी निधि निम्नप्रकार थी-

विवरण (31.03.2019 तक)	राशि (रु करोड़ में)	जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी निधि का % (बेसल III के तहत)
जोखिम भारित आस्तियां	59432	
टीयर-I पूंजी	6028	10.14
टीयर-II पूंजी	1700	2.86
कुल पूंजी	7728	13.00

भारत सरकार ने 27 सितंबर, 2019 को अपने पत्र एफ सं. 7/23/2019-बीओए-I (पीटी) के माध्यम से अपना अभिप्राय सूचित किया कि बैंक के सामान्य इक्विटी कैपिटल में अधिमानी आवंटन के माध्यम से रु 1,666 करोड़ डालेगा, जिसका उपयोग बैंक द्वारा अपने टियर-I और समग्र सीआरएआर स्थिति को दुस्त करने के लिए किया जाएगा।

उक्त संपूर्ण अधिमानी शेयर को भारत सरकार, जो बैंक का प्रमोटर है, को नकद के लिए आवंटित किया जा रहा है।

जैसा कि इस संपूर्ण इश्यू को भारत सरकार, बैंक के अधिकांश शेयरधारक और प्रमोटर के रूप में किया जाना है, इस इश्यू के बाद नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

भारत सरकार को आवंटित किए जाने वाले शेयरों पर निर्गम मूल्य, आज तक यथा संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के तहत विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्रासंगिक तिथि के रूप में 8 अक्टूबर, 2019 को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार को प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु 10.11 पर निर्धारित किया गया है।

अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में शेयरधारिता ढाँचा:

क्रम सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (प्रासंगिक तारीख तक)		अनुमानित निर्गम के बाद	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क.	प्रमोटर				
	भारत सरकार	7192725543	96.83	8840598935	97.41
ख.	गैर प्रमोटर				
	लोक शेयरधारिता	235194141	3.17	235194141	2.59
	कुल योग	7427919684	100.00	9075793076	100.00



अधिमानी आवंटन सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के अनुसार किया जाएगा।

18 सितंबर, 2019 को निदेशक मंडल ने अधिमानी आवंटन के माध्यम से पूंजी जुटाने को मंजूरी दी थी।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 163(1) (ई) और विनियमन 170 के संदर्भ में, उपर्युक्त विशेष संकल्प के लिए आवंटन, अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर या किसी भी नियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार से अनुमति मिलने पर पूरा किया जाएगा। यदि आवंटन के लिए आवश्यक कोई अनुमोदन लंबित है तो जैसा मामला हो, पंद्रह दिनों की अवधि अनुमोदन या अनुमति की तारीख से गिनी जाएगी।

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों की कीमत की फिर से गणना करने का वचन देता है, जहां ऐसा करना आवश्यक है। यदि सेबी आईसीडीआर विनियमों में निर्धारित समय के भीतर मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को बंद रखा जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

केंद्र सरकार को इक्विटी शेयरों का पूरा आवंटन गैर विमुद्रीकृत रूप में किया जाएगा।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 167(6) के अनुसार, भारत सरकार की कुल पूर्व अधिमानी शेयरधारिता वर्तमान के तहत आवंटित शेयरों के लिए ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 महीने तक की प्रासंगिक तारीख से लॉक-इन होगी। अधिमानी आवंटन विनियमन 167(1) के संदर्भ में, भारत सरकार को आवंटित ताजा शेयर, बैंक की भुगतान की गई पूंजी का अधिकतम 20 प्रतिशत के अधीन ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 साल के लिए लॉक-इन होंगे। वर्तमान अधिमानी आवंटन के तहत आवंटित शेयर और 20 प्रतिशत से अधिक ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के लिए बंद रहेंगे।

बैंक के इक्विटी शेयरों को छब्बीस सप्ताह से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 164(3) और 167(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

बैंक के इक्विटी शेयरों का अक्सर उन स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, जिसमें वे सूचीबद्ध होते हैं अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के नियमन 163(2) के तहत आवश्यक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार समस्या और मुद्दामूल्य निर्धारण किया जा रहा है। लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट www.unitedbank.co.in पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा रखे गए सभी शेयर विमुद्रीकृत रूप में हैं और बैंक सेबी लिस्टिंग सूचियों के तहत निर्धारित इक्विटी शेयरों की निरंतर सूची की शर्तों के अनुपालन में है।

संबंधित तारीख से पहले 6 महीने के दौरान केंद्र सरकार ने बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर को नहीं बेचा है।

न तो बैंक, न ही इसका कोई डायरेक्टर या प्रमोटर इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 41(4) के संदर्भ में, बैंक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी चाहता है, जो कि भारत सरकार के लिए अधिमानी आधार पर है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प, यदि पारित किया जाता है, तो बैंक के निदेशक मंडल को उक्त जारी करने और आवंटन करने के लिए अधिकृत करेगा। इसलिए पूर्वोक्त सक्षमताप्रदायी संकल्प को इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम स्वरूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेक प्रदान करने की सिफारिश की जाती है। इसलिए उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार में से कोई भी उक्त संकल्प में अभिरुचि वाले या संबंधित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
ह/-

तारीख: 09 अक्तूबर, 2019
स्थान: कोलकाता

सुष्मिता मजूमदार
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
(सदस्यता सं. A36294)



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय: 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 / **Head Office:** 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700001

दूरभाष/Telephone: (033) 2248 7471 **फैक्स/Fax:** (033) 2231 1704

वेबसाइट/Website: www.unitedbank.co.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of United Bank of India will be held on Thursday, November 7, 2019, at 10.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 to transact the following business –

Item No. 1

To create, offer, issue and allot up to 1647873392 equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) at Rs.10.11 per share including premium of Rs.0.11 per share aggregating up to Rs. 1,666 crore (Rupees One Thousand Six Hundred and Sixty Six crore) to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis for cash.

To consider and if thought fit, pass the following resolution as a **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT, subject to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“Act”), Banking Regulation Act, 1949, as amended from time to time, United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 (“Bank Regulations”), SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”), and any amendment thereto or re-enactment thereof, Ministry of Finance letter F. No. 7/23/2019-BOA-I (Pt.) dated September 27, 2019, approval by the Board of Directors of the Bank on September 18, 2019 and such approvals, consents, sanctions of the Government of India (“GoI”), Reserve Bank of India (“RBI”), Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), the Stock Exchanges on which the equity shares of the Bank are listed, and/ or such other authority as may be required and applicable in this regard, and subject to such terms and conditions and/or modifications thereto as may be prescribed while granting such approvals by such authorities, and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (“Board of Directors” shall include any “Committee” constituted or to be constituted by the Board in this regard), such other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications, Directions as may be applicable from time to time or any modification thereto or re-enactment or re-issuance thereof, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors to create, offer, issue and allot up to 1647873392 (One Hundred and Sixty Four Crore Seventy Eight Lac Seventy Three Thousand Three Hundred and Ninety Two) equity shares of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India at Rs. 10.11 per share including a premium of Rs. 0.11 per share determined in accordance with Regulation 164 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations aggregating up to Rs.1,666 crore (Rupees One Thousand Six Hundred and Sixty Six crore) for cash on preferential basis.

RESOLVED FURTHER THAT, the Relevant Date in terms of Regulation 164 under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Issue Price is **Tuesday, October 8, 2019**.

RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be issued shall rank pari-passu in all respects including dividend with the existing equity shares of the Bank and both the newly issued and the existing shares held by the investor(s) be subject to the lock-in requirements as prescribed under Regulation 167 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations, and the newly issued equity shares be listed on the Stock Exchanges on which the existing equity shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee formed or to be formed, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its



absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable and expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors/Committee be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or such other functionary to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors
For **United Bank of India**

Sd/-

Sushmita Mazumder

Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No. – A36294)

Date: October 9, 2019

Place: Kolkata



NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at Item No. 1 at the Meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

Pursuant to Regulation 60(iii) of the Bank Regulations, a shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In terms of Regulation 62(ii) of the Bank Regulations, the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its **Share Department & Investors' Grievance Cell**, 4th Floor, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 not less than four working days before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Friday, November 1, 2019**.

The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the Bank Regulations shall not be entitled to vote in person at the Meeting.

No person shall be appointed a Proxy who is an officer or employee of the Bank.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

Pursuant to Regulation 61(i) of the Bank Regulations, a shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at the Meeting and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he/she represents, as if he/she was an individual shareholder of the Bank.

The authorization so granted may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

In terms of Regulation 61(ii) of the Bank Regulations, no person shall attend or vote at the Meeting as the duly authorised representative of the Company unless a certified to be a true copy of the resolution appointing him/her as such signed by the Chairman of the Meeting at which it was passed, is deposited to the Bank at its **Share Department & Investors' Grievance Cell**, Head Office, 4th Floor, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001 not less than four working days before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Friday, November 1, 2019**.

No person shall be appointed an authorized representative who is an officer or employee of the Bank.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and surrender the same at the venue of the Meeting. Proxy/ Authorised Representatives of shareholders should state on their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

5. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the—



Share Department & Investors' Grievance Cell,

United Bank of India,
Head Office, 4th floor,
11, Hemanta Basu Sarani,
Kolkata 700001

or emailed to investors@unitedbank.co.in

6. VOTING RIGHTS

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by it/him/her in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the Meeting and vote on the Agenda items either through remote e-voting or voting at the Meeting.

7. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility as per Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the agenda items mentioned in this Notice of the Extraordinary General Meeting to be held on November 7, 2019.

Remote e-voting is optional. In addition to remote e-voting, the shareholders shall have the option of voting at the venue of the Meeting. Shareholders who have cast their votes by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes thereat.

The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The voting rights, at the remote e-voting and voting at Meeting, of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned in respect of the equity shares held by them as on **Thursday, October 31, 2019 (the Cut-off Date)**.

The remote e-voting period shall begin at **10.00 hrs. (IST) on Monday, November 4, 2019** and end at **17.00 hrs. (IST) on Wednesday, November 6, 2019**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- i. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com
- ii. Click on **"Shareholders / Members"**.
- iii. Enter your **User ID**.
 - a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID.
 - b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID.
 - c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- iv. Enter the **Image Verification** as displayed and Click on **"Login"**.
- v. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an



earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used. If you are a first time user follow the steps given below.

vi. Fill up the following details in the appropriate boxes:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) - Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the last 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details or DOB	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

- vii. After entering these details appropriately, click on **“SUBMIT”** tab.
- viii. Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/ entity on which they are eligible to vote, provided that company/ entity opts for e-voting on the CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- ix. For members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- x. Click on the **EVSN** of United Bank of India to vote.
- xi. On the voting page, you will see **“RESOLUTION DESCRIPTION”** and against the same the option **“YES/NO”** for voting. Select the option **“YES”** or **“NO”** as desired. The option **“YES”** implies that you assent to the Resolution and option **“NO”** implies that you dissent to the Resolution.
- xii. Click on the **“RESOLUTIONS FILE LINK”** if you wish to view the entire Resolution.
- xiii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **“SUBMIT”**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **“OK”**, else to change your vote, click on **“CANCEL”** and accordingly modify your vote.
- xiv. Once you **“CONFIRM”** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xv. You can also take out print of the voting done by you by clicking on **“Click here to print”** option on the Voting page.
- xvi. If Demat account holder has forgotten the changed login password then enter the User ID and the image verification code and click on **“Forgot Password”** & enter the details as prompted by the system.
- xvii. Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go ‘Forgot Password’ option available on the website to reset the same.



- xviii. Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution(s) placed by the companies/entities in which you are a shareholder.
- xix. Members can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The **m-Voting** app can be downloaded from Google Play Store, App Store and the Windows Phone Store for Android, IOS and Windows users respectively.
- xx. **Note for Non – Individual Members and Custodians**
- Non-Individual Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- xix. In case of any queries/ issues regarding e-voting and for generation of Login id and password, you may refer to the FAQ and e-voting manual available in the Help Section on www.evotingindia.com or you may contact CDSL e-voting helpdesk at **18002005533** or email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact **Mr. Moloy Biswas**, Regional Head at CDSL at **22 Camac Street, Block A, 1st Floor, Kolkata-700016** or on **9073980266** for redressal.

8. VOTING AT THE VENUE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Bank shall conduct voting at the venue of the Meeting. The shareholders who do not opt for remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the Meeting on November 7, 2019 based on their equity shareholding as on Thursday, October 31, 2019. The number of votes shall be equivalent to the number of shares held by them on those dates.

9. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND VOTING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the Meeting venue shall be announced within 48 hours of the conclusion of the Meeting by hosting the same on the website of the Bank, CDSL and by dissemination of the same in the public domain through the Stock Exchanges on which the Bank's equity shares are listed.



EXPLANATORY STATEMENT

Background and Object of the Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.12000crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is Rs.7427.92crore with Government of India holding 96.83% of the total paid-up capital of the Bank.

During the Financial Year 2018-19, Central Government infused Tier-1 equity capital in two tranches. In December, 2018, the Central Government infused Rs. 2159cr. in the equity capital of the Bank against which the Bank allotted 1,81,73,40,067 equity shares to the Central Government on 11th February, 2019. Thereafter, in February, 2019, the Central Government infused Rs. 2839 cr. in the equity capital of the Bank against which 2,57,38,89,392 equity shares were allotted to the Central Government on 29th March 2019.

During the said FY, the Bank has raised Rs. 30.81cr. by allotting 2,92,02,589 equity shares to its eligible employees by implementation of the United Bank of India - Employee Share Purchase Scheme, 2018.

The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2019 was as under:

Particulars (As on 31.03.19)	Amount Rs. in cr.	% of capital funds to risk weighted asset (under BASEL III)
Risk Weighted Assets	59432	
Tier-I Capital	6028	10.14
Tier-II Capital	1700	2.86
Total Capital	7728	13.00

The Government of India vide their letter F. No. 7/23/2019-BOA-I (Pt.) dated September 27, 2019 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 1,666 crore in the Common Equity Capital of the Bank by way of Preferential Allotment, which shall be utilized by the Bank for shoring up its Tier-1 and overall CRAR position.

This entire preferential issue is being allotted to Government of India, the Promoter of the Bank, for cash.

As the entire issue is to be made to Government of India, the majority shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control, subsequent to the issue.

The Issue Price on shares to be allotted to Gol has been determined in accordance with Regulation 164 under Chapter V of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. Considering October 8, 2019 as the Relevant Date, the Issue Price including premium to Gol is fixed at Rs.10.11 per equity share.

Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on Relevant Date)		After the Issue (Estimated)	
		No. of Shares	Shareholding (% age)	No. of Shares	Shareholding (% age)
A.	Promoter				
	Govt. of India	7192725543	96.83	8840598935	97.41
B.	Non-Promoter				
	Public Shareholding	235194141	3.17	235194141	2.59
	Grand Total	7427919684	100.00	9075793076	100.00

The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

The Board of Directors on September 18, 2019 had approved raising of capital by way of preferential allotment.



In terms of the Regulation 163(1)(e) and Regulation 170 of the SEBI ICDR Regulations, allotment pursuant to the above stated Special Resolution shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing subject to the receipt of the approvals or permissions from any regulatory authority or the Central Government. If any approval necessary for the allotment remains pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of approval or permission, as the case may be.

The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is so required to do. If the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in SEBI ICDR Regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the Central Government.

The entire allotment of equity shares to the Central Government shall be made in dematerialized form.

In accordance with the Regulation 167(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-preferential holdings of Government of India shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment. In terms of Regulation 167(1), the fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment and beyond 20% shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164(3) and 167(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

The Bank's equity shares are frequently traded on the stock exchange on which they are listed i.e. National Stock Exchange of India Ltd. & BSE Ltd.

The Auditors' Certificate required under Regulation 163(2) of the SEBI ICDR Regulations certifying that the issue and the issue-pricing is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Meeting. The Auditors' Certificate will also be displayed on the website of the Bank - www.unitedbank.co.in and on website of CDSL—www.evotingindia.com

All the shares held by the Government of India are in dematerialized form and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as prescribed under SEBI Listing Regulations.

The Central Government has not sold any equity shares of the Bank during the 6 months preceding the relevant date.

Neither the Bank, nor any of its Directors or Promoter is a willful defaulter or fugitive economic offender.

In terms of Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter V of SEBI ICDR Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorise the Board of Directors of the Bank to make the abovementioned issuance and allotment. The aforesaid enabling resolution is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. Hence your consent is requested for the above proposal.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution.

By order of the Board of Directors
For **United Bank of India**

Sd/-

Sushmita Mazumder

Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No. – A36294)

Date: October 9, 2019
Place: Kolkata

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएं:

मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट: युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

502 और 503, पाँचवा तल, वैश्नो चेम्बर,

6, ब्रैबोन रोड, कोलकाता-700001

If undelivered please return to:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

(Unit: United Bank of India)

502 & 503, 5th Floor, Vaishno Chamber,

6 Brabourne Road, Kolkata-700001



युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय / Head Office: 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001 / 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001

प्रॉक्सी फार्म (फार्म 'बी')/PROXY FORM (FORM 'B')

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना है / To be filled in and signed by the Shareholder)

पंजीकृत फोलियो/ डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी / Redg. Folio / DP ID/ Client ID	
शेयरों की संख्या / Number of Shares	

मैं/हम/I/We _____ निवासी/resident(s)of _____ जिला / in the district of _____ राज्य/ in the state of _____ युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता का/की/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतद्वारा being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint श्री/श्रीमती/Shri/Smt. _____ निवासी/resident of _____ जिला / in the district of _____ राज्य / in the state of _____ या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती/ or failing him / her, Shri/Smt. _____ निवासी/resident of _____ जिला/ in the district of _____ राज्य/in the state of _____ को अपने/ हमारे प्रतिनिधि के रूप में गुरुवार, 7 नवंबर 2019, को पूर्वाह्न 10.00 बजे, भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता – 700027 में आयोजित होने वाली युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में मेरे/ हमारे बदले मतदान देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं एवं किसी स्थगन की स्थिति में भी मतदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है।/ as my/ our proxy to vote for me/ us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of United Bank of India to be held on Thursday, November 7, 2019 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027 and at any adjournment thereof.

दिनांक _____ 2019 को इस पर हस्ताक्षर किया / Signed this _____ day of _____ 2019.

राजस्व टिकट चिपकाएं
Please Affix
Revenue Stamp

प्रॉक्सी का हस्ताक्षर / Signature of Proxy _____ प्रथम नामित/मुख्य शेयरधारक का हस्ताक्षर
Signature of First named/Sole Shareholder _____

नाम/Name :
पता/Address :

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश / INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब -
क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित / लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत किया गया हो,
ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्ट्रार में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित / लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत किया गया हो,
ग) कॉर्पोरेट निकाय के मामले में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत एक अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। यह नोट किया जाए कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी नियुक्त करने के अधिकार का संकल्प, बैठक के अध्यक्ष द्वारा इसकी वास्तविक प्रति सत्यापित की गई हो उसकी प्रति संलग्न किया जाना है।
No instrument of proxy shall be valid unless
a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
b) In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
c) In the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative / power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
- जो शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसके द्वारा जमा की गई लिखत प्रॉक्सी पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित मानी जाएगी यदि उस पर उसके अंगूठे का निशान लिया गया हो और वह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा कंपनी के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
- प्रॉक्सी के साथ
क) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया है, या
ख) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकार की एक प्रति शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001, को असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, 1 नवंबर, 2019 को शाम 05:00 बजे तक बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले जमा किया जाए।
The proxy together with
a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the **Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors' Grievance Cell, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before the closing hours of the Bank on Friday, November 1, 2019 by 5.00 p.m.**
- कोई लिखत प्रॉक्सी तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत मुहर न लगी हो और यह विनियम के प्रपत्र “बी” में न हो।
No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form “B” of the Regulation.
- बैंक में जमा लिखत प्रॉक्सी अविकल्पी और अंतिम होगा।
An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- दो अनुदानग्राही वैकल्पिक के पक्ष में दी गई लिखत प्रॉक्सी के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- शेयरधारक जो लिखत प्रॉक्सी को निष्पादित करते हैं वे संबंधित **असाधारण** में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.



युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय / Head Office: 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001 / 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001

गुरुवार, 7 नवंबर 2019 / Thursday, November 7, 2019 समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे / Time: 10.00 a.m.	असाधारण आम बैठक / Extraordinary General Meeting	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता- 700027 / Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027



उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(आयोजन स्थल में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए / To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

मैं एतद्वारा गुरुवार, 7 नवंबर 2019 को आयोजित बैंक के **असाधारण** आम बैठक में उपस्थिति दर्ज करता/ करती हूं । / I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on Thursday, November 7, 2019.

शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/ Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative			
रजिस्टर्ड फोलियो सं. / Regd. Folio No.		डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / DP ID & Client ID	
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

ईवीएसएन / EVSN	यूजर आईडी/User ID	क्रम सं / Sequence No.	दिन/माह/वर्ष में डिफॉल्ट जन्म तिथि / Default DOB in dd/mm/yy लामांश बैंक ब्योरा (जहां जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है) / Dividend Bank Details (Where DOB not registered)
191004003			

ई-मतदान सोमवार, 4 नवंबर 2019 को 10.00 बजे शुरू होगा। E-voting begins on Monday, November 4, 2019 at 10.00 hrs. (IST)	ई-मतदान बुधवार, 6 नवंबर 2019 को शाम 17.00 बजे समाप्त होगा E-voting ends on Wednesday, November 6, 2019 at 17.00 hrs (IST)
---	--

ई-मतदान ब्योरा के लिए ईजीएम नोटिस की मद सं 7 देखें /Please refer to point no.7 in the EGM Notice for details on e-voting.



प्रवेश पत्र / ENTRY PASS

उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर / Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present			
रजिस्टर्ड फोलियो सं./ Regd. Folio No.		डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / DP ID & Client ID	
शेयरधारक का नाम /Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

शेयरधारक/ प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे इस आयोजन स्थल में प्रवेश हेतु बैंक में अभिलिखित अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षरित उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची सहित प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। हलांकि, आवश्यकता पड़ने पर यह प्रवेश सत्यापन/ जांच के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची की दूसरी प्रति इस बैठक में प्रवेश हेतु जारी नहीं की जाएगी।/ Shareholders/ proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.